[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

Notification 7

New Delhi, the 25th October, 2018

- G.S.R.....(E). In exercise of the powers conferred by sections 197 and 206C read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- 1. Short title and commencement, -(1) These rules may be called the Income $-\tan ($ Eleventh Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962,-
- (I) for rule 28, the following rule shall be substituted, namely: —
- "Application for grant of certificates for deduction of income tax at any lower rates or no deduction of income-tax.
- 28. (1) An application by a person for grant of a certificate for the deduction of income-tax at any lower rates or no deduction of income-tax, as the case may be, under sub-section (1) of section 197 shall be made in Form No. 13 electronically,—
- (i) under digital signature; or
- (ii) through electronic verification code.
- (2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and uploading of documents and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the furnishing of Form No.13.";
- (II) in rule 28AA, -
- (A) in sub-rule (2).
 - (a) in clause (ii), for the words "income, as the case may be, of the last three", the words "or estimated income, as the case may be, of last four" shall be substituted;
 - (b) in clause (iv), after the word "payment", the words ", tax deducted at source and tax collected at source" shall be inserted:
 - (c) clause (v) and clause (vi) shall be omitted;

- (B) for sub-rule (4), sub-rule (5) and sub-rule (6), the following sub-rules shall, respectively, be substituted, namely:—
- " (4) The certificate for deduction of tax at any lower rates or no deduction of tax, as the case may be, shall be issued direct to the person responsible for deducting the tax under advice to the person who made an application for issue of such certificate:

Provided that where the number of persons responsible for deducting the tax is likely to exceed one hundred and the details of such persons are not available at the time of making application with the person making such application, the certificate for deduction of tax at lower rate may be issued to the person who made an application for issue of such certificate, authorising him to receive income or sum after deduction of tax at lower rate.

- (5) The certificates referred to in sub-rule (4) shall be valid only with regard to the person responsible for deducting the tax and named therein and certificate referred to in proviso to the sub-rule (4) shall be valid with regard to the person who made an application for issue of such certificate.
- (6) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for issuance of certificates under sub-rule (4) and proviso thereto and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the issuance of said certificate.";
- (III) in rule 28AB,
 - (A) in sub-rule (2), -
 - (a) in clause (i), the word "and" shall be inserted at the end;
 - (b) in clause (ii), the words "and" occurring at the end shall be omitted;
 - (c) clause (iii) shall be omitted.
- (IV) for rule 37G, the following rule shall be substituted, namely: —

"Application for certificate for collection of tax at lower rates under sub-section (9) of section 206C

- **37G.** (1) An application by the buyer or licensee or lessee for a certificate under sub-section (9) of section 206C shall be made in Form No. 13 electronically, -
- (i) under digital signature; or
- (ii) through electronic verification code.
- (2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and uploading of documents and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the furnishing of Form No.13";
- (V) in rule 37H, -
- (a) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

- '(1) Where the Assessing Officer, on an application made by a person under sub-rule (1) of rule 37G is satisfied that existing and estimated tax liability of a person sustifies the collection of tax at lower rate, the Assessing Officer shall issue a certificate in accordance with the provisions of sub-section (9) of section 206C for collection of tax at such lower rate;
- (1A) The existing and estimated tax liability referred to in sub-rule (1) shall be determined by the Assessing Officer after taking into consideration the following, namely:
- (i) tax payable on estimated income of the previous year relevant to the assessment year;
- (ii) tax payable on the assessed or returned or estimated income, as the case may be, of the last four previous years;
- (iii) existing liability under the Act and the Wealth-tax Act, 1957 (17 of 1957);
- (iv) advance tax payment, tax deducted at source and tax collected at source for the relevant assessment year relevant to the previous year till the date of making application under subrule (1) of rule 37G.";
- (b) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:
- "(6) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for issuance of certificate under sub-rule (5) and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the issuance of said certificate.";
- (VI) in Appendix II, for Form No.13, the following shall be substituted, namely:—

"FORM No. 13[See rules 28 and 37G]

To The Asses	ssing Officer,	and/or sub-section (by a person for a certificate un 9) of section 206C of the Incondeduction of tax or deduction collection of tax at a lower ra	ne-tax Act, 1961, for a or	no	
	· ·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.	I, issued to the persor time of payment of	n responsible for paying mesuch income/sum to me.	of e the incomes/sum, authorising The details are specified in Ann	him, not to deduct/de	by, request that a ceduct income-tax at	ertificate may be lower rate, at the
		·				
			and/or	,		
	exceed	of income-tax at lower rate	as I do not have the details of t	the person making pay	yments and their nu	icate may be issued imber is likely to
	(ii) without deducti The details are spec	ion of income-tax as this apcified in Annexure-II.	pplication is made for the perso.	n/entity specified in r	ule 28AB.	
• . •				•		
	• .		and/or			
· .	I,issued to the buye account or receip	er or lessee or licensee, au t thereof from me, as the c	of thorising him to collect income ase may be. The details are spec	-tax at lower rate at tl	he time of debit of	certificate may be such amount to my

2. The particulars of my income and other relevant details are	as under :					
(i) Status	-	<u> </u>				
(State whether individual, Hindu undivided family, firm, bod	y					
of individuals, company etc.)						
(ii) Residential status		·				
(Whether resident / resident but not ordinarily						
resident / non-resident during the year which is sought)						
(iii) Permanent Account No.				···		
(iv) E-mail ID						
(v) Mobile Number						
(vi) Details of existing liability under the Act and the Wealth	tax Act, 1957:-		·			
		come-tax Act, 1961	ransa and an analysis and an a			
Assessment Amount payable in Year respect of advance-tax	Amount payable for self-assessment tax	Amount for which notice of demand under section 156 has been served but not paid	Amount payable as deductor or collector which had become due but not paid	Amount payable under the Wealth- tax Act, 1957	Remarks	
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				<u></u>		
					,	
(vii) Previous year to which the payments/receipts relate	,					
(viii) Estimated total income of the previous year referred to total income of the previous year)(ix) Total tax including interest payable for the total income referred to total income of the previous year referred to total income of the previous year.		oad computation of	estimated		·	
(x) Details of income claimed to be exempt and not included giving reason for claiming such exemption)	in the total income	in (viii) (Please uplo	oad a note			

(XI) Details of payment of advance	e-tax and tax deducted/collected, if any, for the previous year	r referred to in	
(vii) till date		TANAMA TO III	
Nature of prepaid tax	Amount of Total Tax 19		·
Advance Tax			
TDS			
TCS			
(xii) whether exemption under sect	tion 10, section 11 or section 12 is claimed (Yes/No) (If Yes	nlease unload	·
registration/exemption certificate/a	approval, if any, issued by the Income-tax Authority)	s, piease upioad	
(xiii) Where return of income for	any of the four previous year preceding to the previous year	ear referred to in	
(vii) has not been filed, please upl	load a computation of estimated total income of the previous	Is year for which	;
return of income has not been filed	l.	AS YOUR TOT WINCH	
(xiv) Where return of income for a	my of the four previous year has been filed in paper form, pl	ease unload the	
copy of such returns.			
I, do hereby dec	clare that to the best of my knowledge and belief what is	stated above is correct, complete and truly st	atad I
declare that the incomes/sum refer	red to in this form are not includible in the total income of a	any other nerson under sections 60 to 64 of the	aicu, i
	the same and the same of the s		
Turther declare that what is stated if	In this application is correct. I also declare that I am making	application in my capacity as	
Turther declare that what is stated if	In this application is correct. I also declare that I am making	application in my capacity as	d I am
jurther declare that what is stated i	in this application is correct. I also declare that I am making ation and verify it. I am holding permanent account number	application in my capacity as	
jurther declare that what is stated i	In this application is correct. I also declare that I am making	application in my capacity as	
Turther declare that what is stated if	In this application is correct. I also declare that I am making	application in my capacity as	
also competent to make this application	In this application is correct. I also declare that I am making	application in my capacity as	
Turther declare that what is stated if	In this application is correct. I also declare that I am making	application in my capacity as	
also competent to make this application	In this application is correct. I also declare that I am making ation and verify it. I am holding permanent account number	application in my capacity as	
also competent to make this application. Date:	In this application is correct. I also declare that I am making ation and verify it. I am holding permanent account number. Signature	application in my capacity as	
also competent to make this application	In this application is correct. I also declare that I am making ation and verify it. I am holding permanent account number	application in my capacity as	
also competent to make this application. Date:	In this application is correct. I also declare that I am making ation and verify it. I am holding permanent account number. Signature	application in my capacity as	
also competent to make this application. Date:	In this application is correct. I also declare that I am making ation and verify it. I am holding permanent account number. Signature	application in my capacity as	
also competent to make this application. Date:	In this application is correct. I also declare that I am making ation and verify it. I am holding permanent account number. Signature	application in my capacity as	
also competent to make this application. Date:	In this application is correct. I also declare that I am making ation and verify it. I am holding permanent account number. Signature	application in my capacity as	
also competent to make this application. Date:	In this application is correct. I also declare that I am making ation and verify it. I am holding permanent account number. Signature	application in my capacity as	
also competent to make this application. Date:	In this application is correct. I also declare that I am making ation and verify it. I am holding permanent account number. Signature	application in my capacity as	

.

		ANNEXURE I	
 1 1 0 11		<u>.</u>	

Please furnish following particulars in respect of the income/sum for which the certifica	te is sought
-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Sl.No.	Tax deduction and collection account number (TAN) or Permanent account number (PAN) of the person making payment	Section under which tax at source is to be deducted	Estimated amount of income/sum to be received	Requested rate of Deduction (Please fill '0' where 'NIL' deduction is requested)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

ANNEXURE II

[For the purpose of tax deduction at source]

Please furnish following particulars in respect of the income/sum for which the certificate is sought. (Please upload a note justifying the issue of certificate under proviso to the sub-rule (4) of rule 28AA)

Sl.No.	Section under which tax at source is to be deducted	Estimated amount of income/sum to be received	Requested rate of Deduction
(1)	(2)	(3)	(4)

ANNEXURE III

[For the purpose of tax collection at source]

Please furnish following particulars in respect of amount payable for which the certificate is sought


Sl.No.	Tax deduction and collection account number (TAN) or Permanent account number (PAN) of the Seller/Lessor/Licensor	Sub-section under which tax at source is to be collected [Please specify as per table given below the sub-	Estimated amount to be debited/paid	Requested rate of collection
(1)	(2)	section(s)]	745	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Date:			-• Signature	
Place:	•		Address	,,,,

[Notification No.7.1/2018/F.No. 370142/10/2018-TPL]

(Dr. T.S. Mapwal

Under Secretary (Tax Policy and Legislation)

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th of March, 1962 and were last amended vide notification number G.S.R. 1054(E) dated the 23rd of October, 2018.



(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोई

अधिसूचना 襗 7 4

नई दिल्ली, तारीख 25 अक्तूबर, 2018

सा.का. नि......(अ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 197 और धारा 206ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्न लिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे
- 2. आयकर नियम, 1962 में, --
- (I) नियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:- *
 "किसी भी निम्न दरों पर आयकर की कटौती या आयकर की कटौती न करने के लिए
 प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन !"
- 28. (1) यथास्थिति, किसी भी निम्न दरों पर आयकर की कटौती या आयकर की कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन, धारा 197 की उपधारा (1) के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में प्ररूप संख्या 13 में, --
- (i) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन किया जाएगा; या
- (ii) इतैक्ट्रानिक सत्यापन कूट के माध्यम से किया जाएगा ।
- (2) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक डाटा के सुरक्षित कैप्चर और पारेषण के लिए तथा दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रक्रिया, प्ररूप और मानक अधिकथित करेगा तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) प्ररूप 13 प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेख और पुन:प्राप्ति नीतियां तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।";
- (II) नियम 28कक में, --

(अ) उप-नियम (2) में, --

- (क) खंड (ii) में, "जैसी भी स्थिति हो, अंतिम तीन की आय" शब्दों के स्थान पर "या यथास्थिति, अंतिम चार का प्राक्कलित आय" रखा जाएगा;
- (ख) खंड (iv) में, "संदाय" शब्द के पश्चात् "स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण" अंत:स्थापित किया जाएगा;
- (ग) खंड (v) और खंड (vi) का लोप किया जाएगा;
- (अ) उप-नियम (4), उप-नियम (5) और उप-नियम(6) के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-
- "(4) यथास्थिति, किन्हीं निम्न दरों पर कर की कटौती या कर की कटौती न करने के लिए उस व्यक्ति की सलाह के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति को सीधे जारी किया जाएगा, जिसने ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया हो"

परंतु जहां कर की कटौती करने के लिए दायी व्यक्तियों के सौ से अधिक होने की संभावना है और आवेदन करने के समय ऐसा आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को निम्न दर पर कर की कटौती करने के पश्चात् ऐसी आय या राशि को प्राप्त करने के लिए प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा।

- (5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के संबंध में और उसमें नामित व्यक्ति के लिए ही विधिमान्य होगा और उपनियम (4) के परंतुक में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र उस व्यक्ति के संबंध में विधिमान्य होगा जिसने ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है।
- (6) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक उपनियम (4) के अधीन और उसके परंतुक के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक अधिकथित करेंगे तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेख और पुन:प्राप्ति नितियां तैयार करने और कार्र्यन्वित करने के लिए भी उत्तरदायी।";

(III) नियम 28कख में,--

उपनिमय (2) में,--

- (क) खंड (i) में अंत में "और" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;
- (ख) खंड (ii) में अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ग) खंड (iii) का लोप किया जाएगा;
- (IV) नियम 37छ के स्थान पर निम्नतिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"धारा 206ग की उपधारा (9) के अधीन निम्न दरों पर कर संग्रहण के लिए प्रमाणपत्र के

- **37छ** (1) धारा 206ग की उपधारा (9) के अधीन क्रेता या अनुज्ञितिधारी या पट्टाधारी द्वारा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन इलैक्ट्रानिक रूप में प्ररूप 13 में,--
- (i) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन किया जाएगा; या
- (ii) इलैक्ट्रानिक सत्यापन क्ट के माध्यम से किया जाएगा।
- (2) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक डाटा के सुरक्षित कैप्चर और पारेषण के लिए तथा दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रक्रिया प्ररूप और मानक अधिकथित करेगा तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) प्ररूप 13 प्रस्तुत करने के संबंध में समुधित सुरक्षा, पुरालेख और पुन:प्राप्ति नीतियां तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होगा";
- (V) नियम 37ज में,--
- (क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नितिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:--
- '(1) जहां निर्धारण अधिकारी का किसी व्यक्ति द्वारा नियम 3 छ के उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति का विद्यमान और प्राक्किति कर दायित्व निम्न दर पर कर संग्रहण को न्यायोचित ठहराता है, निर्धारण अधिकारी ऐसी निम्न दर पर कर संग्रहण के लिए धारा 206ग की उपधारा (9) के उपबंधों के अनुसरण में प्रमाणपत्र जारी करेगा;
- (1क) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विद्यमान और प्राक्कलित कर दायित्व का अवधारण व निर्धारण अधिकारी द्वारा निम्नलिखित पर विचार करते हुए किया जाएगा, अर्थात्:--

निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष की प्राक्कलित आय पर संदेय कर;

चार वर्ष की यथास्थिति, निर्धारित आय या विवरणी आय या पाक्कलित आय पर संदेय कर:

अधिनियम और धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन विद्यमान दायित्व ;

नियम 37छ के उपनियम (1) के अधीन आवेदन करने की तारीख तक पूर्व वर्ष से सुसंगत, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अग्रिम कर संदाय, स्रोत पर कटौती किया गया कर और संग्रहित कर ।";

- (ख) नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
- (6) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक उपनियम (5) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया प्ररूप और मानक अधिकथित करेगा तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेख और पुन:प्राप्ति नितियां तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होगा";
- (VI) परिशिष्ट II, प्ररूप 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"प्ररुप सं. 13

(नियम 28 और नियम 37छ देखिए)

कर की कटौती न करने पर या निम्न दर पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 और/या धारा 206ग की उप-धारा (9) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन

·					
ं सेवा में, िनिर्धारण अधिकारी,	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	··			
1. मैंनिवासी के लिए प्राधिकृत है, मुझे आय/रा	.यह अनुरोध करता हूं कि मुझे ऐसे आय/राशि के शि संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्रम	संदाय के समय, नि गणपत्र जारी किया ज	म्नदर पर आयकर की ए । ब्यौरे उपाबंध ।	कटौती न करने/व पर विनिर्दिष्ट है।	न्टौती करने
	और/या				
मैंयह	अनुरोध करता हूं कि मुझे ऐसे आय/राशि प्राप्ति वे	न लिए प्रमाणपत्र जा ^र	री किया जाए :-		

- (i) निम्नदर पर आयकर की कटौती के पश्चात् जैसा कि मेरे पास संदत्त करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा मेरे पास नहीं है और जिनकी संख्या.......से अधिक होने की संभावना है।
- (ii) नियम 28ख में विनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यष्टि के लिए दिए गए इस आवेदन के अनुसार आयकर की कटौती के बिना/ब्यौरा उपाबध-11 पर विनिर्दिष्ट है ।

और/या

मैं.........................विवासी......यह अनुरोध करता हूं कि यथास्थिति, मेरे खाते में ऐसी रकम या मुझसे प्राप्ति के विकलन के समय निम्न दर पर आयकर को संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत क्रेता, पट्टेदार या अनुज्ञप्ति अधिकारी को प्रमाणपत्र जारी किया जाए । ब्यौरा उपाबंध-।।। पर विनिर्दिष्ट है ।

2. मेरे आय की विशिष्टियां और अन्य सुसंगत ब्यौरे	
निम्नलिखित हैं :	
(i) प्रास्थिति(व्यक्तिगत, हिंदू अविभक्त कुटुंब, फर्म,	
व्यष्टि निकाय, कंपनी आदि का कथन करें)	
(ii) आवासिक प्रास्थिति (निवासी/निवासी लेकिन	
सामान्यतः रहता नहीं / चाहे गये वर्ष के दौरान गैर-	
निवासी)	
(iii) स्थायी पता सं.	
(IV) ई-मेत आईडी	
(V) मोबाइल सं.	
(VI) अधिनियम और धन-कर अधिनियम, 1957 के	
अधीन विद्यमान दायित्व के ब्यौरे :-	

				आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दायित्व		
निर्धारण	अग्रिम	स्वतः निर्धारण	रकम	कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता के रूप में संदेय	धन-कर अधिनियम, 1957 के	टिप्पणी
वर्ष	कर के	कर के लिए	जिसके	रकम जो शोध्य हो गई थी किंत् संदत्त	अधीन संदेय करम	
1	संबंध में	संदेय रकम	लिए धारा	नहीं की गई।		
	संदेय		156 के			
	रकम		अधीन		·	

		,	मांग की सूचना की	.4			
			तामील हो				
			गई है				
			किंतु	the second secon			
			संदत्त नहीं की		-		
			गई है				
1	2	3	4	-	6		7
(vii) पूर्ववर्त	ों वर्ष, जिससे स	नंदाय/प्राप्ति संब	धित है				<u> </u>
(viii) ऊपर	(vii) में विनि' -	र्दिष्ट पूर्ववर्ती व	र्ष की प्राक्कलित	न कुल आय (कृपया पूर्ववर्ती वर्ष	। की कुल प्राक्कलित आय व	की संगणना	
अपलोड करे	.)			*			
(ix) (viii) ā	में विनिर्दिष्ट कु		य ब्याज सहित				
(ix) (viii) व (x) छूट के कारण देते	में विनिर्दिष्ट कु लिए दावाकृत हुए एक नोट 3	आय का ब्यौरा मपलोड करे)	ा और जिसमें (v	viii) की कुल आय सम्मिलित व			
(ix) (viii) व (x) छूट के कारण देते	में विनिर्दिष्ट कु लिए दावाकृत हुए एक नोट 3 ो तारीख तक (आय का ब्यौरा मपलोड करे)	ा और जिसमें (v				
(ix) (viii) र (x) छूट के कारण देते (xi)आज की यदि कोई ह	में विनिर्दिष्ट कु लिए दावाकृत हुए एक नोट 3 ो तारीख तक (आय का ब्यौरा पपलोड करे) vii) में विनिर्दिष	ा और जिसमें (v	viii) की कुल आय सम्मिलित ब			
(ix) (viii) र (x) छूट के कारण देते (xi)आज की यदि कोई ह	में विनिर्दिष्ट कु लिए दावाकृत हुए एक नोट 3 ो तारीख तक (ो	आय का ब्यौरा पपलोड करे) vii) में विनिर्दिष	ा और जिसमें (v ट पूर्ववर्ती वर्ष के	viii) की कुल आय सम्मिलित ब			
(ix) (viii) व (x) छूट के कारण देते (xi)आज की यदि कोई ह पूर्व संदत्त्	में विनिर्दिष्ट कु लिए दावाकृत हुए एक नोट 3 ो तारीख तक (ो	आय का ब्यौरा पपलोड करे) vii) में विनिर्दिष	ा और जिसमें (v ट पूर्ववर्ती वर्ष के	viii) की कुल आय सम्मिलित ब			

(xii) क्या धारा 10, धारा 11 या धारा 12 के अधीन छूट का दावा किया गया है (हां/नहीं) (यदि हां, तो कृपया आयकर प्राधिकारी (xiii) जहां (vii) में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष के पूर्व किन्हीं चार पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय की विवरणी को फाइल किया गया है, कृपया पूर्ववर्ती वर्ष के कुल प्राक्किलत आय की सगणना अपलोड करें जिसके आय की विवरणी फाइल नहीं की गई है। (xiv) जहां किन्हीं चार पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय की विवरणी पेपर फार्म में फाइल की गई है, कृपया ऐसे विवरणियों की प्रति अपलोड करें। मैं
(xiii) जहां (vii) में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष के पूर्व किन्हीं चार पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय की विवरणी को फाइल किया गया है, कृपया पूर्ववर्ती वर्ष के कुल प्राक्किलित आय की संगणना अपलोड करें जिसके आय की विवरणी फाइल नहीं की गई है। (xiv) जहां किन्हीं चार पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय की विवरणी पेपर फार्म में फाइल की गई है, कृपया ऐसे विवरणियों की प्रति अपलोड करे। मैं
कृपया पूर्ववर्ती वर्ष के कुल प्राक्किति आय की संगणना अपलोड करें जिसके आय की विवरणी फाइल नहीं की गई है। (xiv) जहां किन्हीं चार पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय की विवरणी पेपर फार्म में फाइल की गई है, कृपया ऐसे विवरणियों की प्रति अपलोड करे। मैं
(xiv) जहां किन्हीं चार पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय की विवरणी पेपर फार्म में फाइल की गई है, कृपया ऐसे विवरणियों की प्रति अपलोड करे । मैंथह घोषणा करता हूं कि जैसा ऊपर अभिकथित किया गया है वह मेरी जानकारी और विश्वास में सही, पूर्ण और सत्य है, मैं घोषणा करता हूं कि इस प्ररुप में विनिर्दिष्ट आय/राशि अधिनियम की धारा 60 और धारा 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं है । मैं इसके अतिरिक्त यह घोषित करता हूं कि जो भी आवेदन में अभिकथित किया गया है, वह सही है । मैं यह भी घोषणा करता हं
अपलोड करे । मैंयह घोषणा करता हूं कि जैसा ऊपर अभिकथित किया गया है वह मेरी जानकारी और विश्वास में सही, पूर्ण और सत्य है, मैं घोषणा करता हूं कि इस प्ररुप में विनिर्दिष्ट आय/राशि अधिनियम की धारा 60 और धारा 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं है । मैं इसके अतिरिक्त यह घोषित करता हूं कि जो भी आवेदन में अभिकथित किया गया है, वह सही है । मैं यह भी घोषणा करता ह
करता हूं कि इस प्ररूप में विनिर्दिष्ट आय/राशि अधिनियम की धारा 60 और धारा 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं है । मैं इसके अतिरिक्त यह घोषित करता हूं कि जो भी आवेदन में अभिकथित किया गया है, वह सही है । मैं यह भी घोषणा करता ह
करता हूं कि इस प्ररूप में विनिर्दिष्ट आय/राशि अधिनियम की धारा 60 और धारा 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं है । मैं इसके अतिरिक्त यह घोषित करता हूं कि जो भी आवेदन में अभिकथित किया गया है, वह सही है । मैं यह भी घोषणा करता ह
खाता संख्याधारित करता हूं (यदि आबंटित हो) ।
तारीख हस्ताक्षर

उपाबंध ।							
कृपया उन आय/राशि की बाबत, जिसके लिए प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है, नीचे दी गई विशिष्टियों में प्रस्तुत करें							
क्रम	संदाय करने वाले व्यक्ति की कर	वह धारा	प्राप्त कि	ए कटौती की अनुरोधित दर (कृपया जहां शून्य कटौती अनुरोधित है, वहां 0			
सं.	कटौती और संग्रह खाता संख्या	जिसके अधीन	जाने वात	ले भरें)			
	(टीएएस) या स्थायी खाता संख्या	स्रोत पर कर	आय/राशि र्व	ति			

पता

स्थान

	(पीएएस)	की कटौती की जानी है	प्राक्कलित	
			रकम	
1	2	3	4	5
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

उपाबंध ॥

(स्रोत पर कटौती के प्रयोजन के लिए)

कृपया उन आय/राशि की बाबत, जिनके लिए प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है, नीचे दी गई विशिष्टियों में प्रस्तुत करें । (कृपया नियम 20कक के उप-नियम (4) में परंतुक के अधीन जारी प्रमाणपत्र को न्यायोचित करने वाला एक नोट अपलोड करें)

·		<u> </u>	The state of the s
क्रम	वह धारा जिसके अधीन स्रोत पर	प्राप्त किए	कटौती की अनुरोधित दर
	कर की कटौती की जानी है।	जाने वाले	
		आय/राशि की	
		प्राक्कलित	
		रकम	
1	2	3	4
		·	1

उपाबंध ॥।

(स्रोत पर कर संग्रहण के प्रयोजन के लिए)

कृपया उन संदेय रकमों की बाबत, जिनके लिए प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है, नीचे दी गई विशिष्टयों को प्रस्तुत करें ।

'a				
क्रम	विक्रेता/पद्टाकर्ता/अनुज्ञप्तिकर्ता के	वह उप-धारा		संग्रहण का अनुरोधित कर
संख्या	कर कटौती और संग्रहण खाता	जिसके अधीन	की जाने वाली	
	संख्या (टी ए एस) या स्थायी	स्रोत पर कर	प्राक्कलित	
	खाता सं. (पी ए एस)	संग्रहित किया	रकम	•
		जाना है		
		(कृपया नीचे		
		दिए गए उप-		
<u> </u>		धाराओं में		
	·	सारणी के		s.
		अनुसार		
		विनिर्दिष्ट		
	-	करें)		
··				
1	2	3	4	5
1			·	
	1	J	<u> </u>	
				•
		,		•
तारीख			हस्ताक्षर	
स्थान				·
रतान			पता	P

(अधिसूचना सं..../2018/फा.सं.370142/10/2018-टीपीएल)

्रीकु (ी (डा.टी.एस.मपवाल)

अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए हैं और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1054(अ) तारीख 23 अक्तूबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।